न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 65/2022

1. श्रीमती किशनी देवी पत्नी जादूराम
2. रामेश्वरलाल
3. कैलाशचन्द्र } पि. जादूराम
4. पप्पुराम
5. श्रीमती रेखा देवी पत्नी कालूराम पुत्र जादूराम
6. मदन
7. महेन्द्र
8. पूनम
9. पुरूषोतम } पि. कालूराम पुत्र जादूराम जाति नाई निवासीगण दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर
10. माया
11. कोशल्या

.............वादीगण

बनाम

1. सुगनाराम
2. गंगादेवी } लेखुराम जाति नाई निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. मुन्नी
4. श्रीमती सुशिला देवी पत्नी गोरधनराम
5. कन्हैयालाल
6. प्रदीप कुमार } पि. गोरधनराम जाति नाई निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. सरोज
8. उर्मिला
9. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी आसुराम
10. बद्रीप्रसाद
11. काशीराम } पि. आसुराम जाति नाई निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. सुमन
13. ओमप्रकाश
14. रूपाराम
15. चुन्नीलाल } पि. मुरलीराम पुत्र उदाराम जाति नाई निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
16. मोहनराम
17. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी किशनाराम
18. प्रभुदयाल
19. जस्साराम } पि. किशनाराम पुत्र मुरलीराम जाति नाई निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
20. परमेश्वरी
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तकसीम व चिर निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषक:–

1. श्री रामचन्द्रसिंह भाटी अभिभाषक वादीगण।
2. श्री जितेन्द्र कुमार जैन प्रतिवादी संख्या 14 व 17 ता 20 अनुपस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

3. पेरोकारराज राज्य की और से।
4. प्रतिवादी संख्या 15 व 16 अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही है।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 24.01.2023

30.06.2022 को विचाराधीन वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

2. संक्षेप में आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद बाबत खाता तकसीम व हुक्म इम्तनाई दवामी अर्न्तगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमे तहसीलदार राजस्व कोलायत को लेण्ड होल्डर होने के नाते प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद में किये गये कथनानुसार आराजी खसरा नम्बर 238/146 जिसमें क्षेत्रफल 50.00 बीधा है जो ग्राम रोही दियातरा तहसील कोलायत में स्थित है में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 संयुक्त खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 4/24 हिस्सा, 4 से 8 का 1/24, 9 ता 13 का 1/234 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 20 का 1/4 हिस्सा है दर्ज जिसके अनुसार हिस्सेदार काबिज काश्त है। चुकि खाता शामिलाती होने से जमीन काश्त करने एवं अन्य कई व्यवहारिक अड़चनों का सामना करना पडता है। तथा पक्षकारों के मध्य मन मुटाव भी बना रहता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को तहसील कोलायत में चलकर आराजी मुतनाजा का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया। लेकिन वे मना हो गये तथा जमीन बिना बंटवारा कराये अन्य दीगर सख्श को बैय करने की फिराक में है तथा भूमि बाबत प्रतिवादीगण ने धमकी वादीगण को दी है। इसलिए वादीगण ने तकासमा करने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का यह वाद स्वीकार कर विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में करने का निवेदन किया।

3. इस वाद के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकियात दिलाया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलब किये गये। पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 व 17 ता 20 की और से श्री जितेन्द्र कुमार जैन ने अपना अभिभाषक इस न्यायालय को दिनांक 14.10.2022 को दाखिल किया और जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। जबकि प्रतिवादी संख्या 15 व 16 बावजूद इतला के अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली गयी। लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादीगण को समुचित अवसर प्रदान किये गये। लेकिन कोई जवाब देही प्रतिवादीगण द्वारा नही दिये जाने से जवाबदावा प्रतिावदीगण बंद किया गया। क्योकि वादीगण ने विभाजन अच्छी से अच्छी एवं माड़ी में से माड़ी जमीन का चाहा है तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में अंकितानुसार जमीन बजंड पाला है अतः विभाजन करने में कोई अड़चन होनी प्रतीत नही होती है।

4. मैने बहस योग्य अभिभाषक पक्षकारान विभाजन की प्राथमिक डिग्री पर सुनी एवं पत्रावली का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। ग्राम दियातरा की सवंत 2069 से 2072 की जमाबन्दी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसका अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि खसरा नम्बर 238/146 तादादी 50.00 बीधा बजंडपाला अराजी मूल खातेदारी हरखुदेवी पत्नी स्व. लेखुराम, सुगनाराम, गोरधनराम, आसुराम, संतोष देवी, मुन्नी पुत्रगण पुत्रीयान लेखुराम 1/4 हिस्सा, मुरलीराम पुत्र उदाराम 1/4 हिस्सा किशनी देवी पत्नी स्व. जालुराम, रामेश्वरलाल, कालुराम, कैलाशचन्द्र, पप्पुराम पुत्रगण जालुराम 1/2 हिस्सा कोम नाई सा. देह दर्ज है। जो इसी जमाबन्दी के विशेष कॉलम में लाल स्याही के नोट में वर्तमान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासतन के आधार पर मिलकर दर्ज रही है। एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार को अपने हिस्से आयी जमीन को बंटवारा करवाने का हक कानून में दाखिल है। इस दृष्टि से विभाजन बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स में किये जाने मे कोई अड़चन नही है। इस कानूनी स्थिति को ध्यान मे रखते हुवे वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत खाता विभाजन तकसीम स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन की प्राथमिक डिग्री बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स निम्न

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

प्रकार सादिर की जाती है कि ग्राम दियातरा तहसील कोलायत की सवंत 2069 से 2072 की जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 238/146 तादादी 50.00 बीधा कृषि भूमि पर तहसीलदार राजस्व कोलायत को मौका कमिशनर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है। कि विभाजन बाई मीट्स एवं बाउण्ड्स में कर उनके खाते एव लगान अलग कायम किये जावे तथा अलग अलग नक्शे बनाकर अलग अलग रंगो मे नजरी नक्शा मे उनकी भूमियों दर्शाते हुए खाता विभाजन किया जावे। इस आश्य के प्रस्ताव मय नजरी नक्शा संभवतया पक्षकारान की उपस्थित में तैयार कर 15 योंम में इस न्यायालय में भिजवायें ताकि पक्षकारान के मध्य विभाजन की अन्तिम डिग्री दी जानी मंजुर की जा सके। साथ ही यह डिग्री भी दी जाती है कि जब तक अन्तिम विभाजन नही जो जाता है प्रतिवादीगण भूमि मुतदाविया की किसी अन्य शख्स को बैय नही करे तथा ना ही अन्य दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट पैदा करें। डिग्री पर्चा निर्णयानुसार मुर्तिब किया जावें। निर्णय एवं डिग्री की एक प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत (बीकानेर))

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

निर्णय एवं प्राथमिक डिग्री की प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

36
30.1.23

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर